

संख्या-180/1595/15-7-161131/94

प्रयत्न,

श्री अमोल मांजरी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र, उत्तर प्रदेश, प्रीति मिहिर,
नई दिल्ली ।

विषय: अनुमान

तारीख: दिनांक, 15 मार्च, 1995

विषय:- सेन्ट फीन मेरी पब्लिक स्कूल, आगरा को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु प्रस्तावित प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेन्ट फीन मेरी पब्लिक स्कूल, आगरा को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान की जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है ।

1. विद्यालय को पंजीकृत संस्थाओं का सम्बन्ध-सम्बन्ध जब पर मनीनीकरण कराया जायेगा ।
2. विद्यालय की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बैंगलूर शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैंगलूर पर दि. 15/3/95 तक सटीफिकेट इन्वैस्टिगेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
5. संस्था के अधिक एवं विभिन्नतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान (या अन्य भत्ते नहीं) दिये जायेंगे ।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायीं जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अगातकीय उत्पन्न माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

... 2 ...

- 17। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
 18। विद्यालय का रिजल्ट निर्धारित प्रश्न-पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
 19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के सुपानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि संस्था द्वारा विद्यालय का निजी भवन मानवसुख बनवाकर एक वर्ष के भीतर तालतन को अवकाश कराया जायेगा। विद्यालय में निबमानुसार वेतन का भुगतान कराया जायेगा तथा की पीछे सभी योजना यथासमय लागू कर सुचित की जायेगी।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की धूल या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापूर्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भारतीय

। अशोक गांगुली ।
 उप सचिव।

संख्या-डीएमओ/595311/15-7-16/131/94तदतिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुपचार्य एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष भारतीय उप शिक्षा निदेशक, आगरा।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक आगरा।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
- ✓ 5- प्रबन्ध, सेन्ट जॉन मैरी पाब्लिक स्कूल, डिपेन्स काग्रेसी, इन्डस्ट्र आगरा।

आज्ञा से,

[Signature]
 । अशोक गांगुली ।
 उप सचिव।

Rajiv
 Manager

St. Queen Mary's Public School
 (C.B.S.E. Affiliated)
 Tehra Gwalior Road, AGRA

[Signature]
 Principal

St. Queen Mary's Public School
 (C.B.S.E. Affiliated)
 Tehra Gwalior Road, AGRA